

बिहार स्टेट माइनोरिटीज फाइनेन्सियल कारपोरेशन लि० पटना

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम)

अब्दुल कय्यूम अंसारी मेमोरियल भवन, 34, हार्डिंग रोड, (अली इमाम पथ) पटना-800001

Ph: 0612-2204975 Fax : 0612-2215994 (Email= bsmfcipatna-bih@gov.in website:www.bsmfc.org)

संख्या:------ नि०/रो०/ऋण/3-08/19

पटना, दिनांक: -----

संशोधित स्वीकृत्यादेश

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना वित्तीय वर्ष 2017-18 के तहत स्वीकृत्यादेश संख्या-1813 दिनांक-03.12.2019 क्रमांक-03 पर अंकित मो जावेद, पिता-स्व० अब्दुल रशीद, ग्राम+पो०+थाना + प्रखण्ड -मैनाटॉड, जिला-पश्चिम चम्पारण-845306 को मैकेनिकल वर्क शॉप ट्रेड के लिए ₹ 2,25,000/- ऋण की स्वीकृति दी गई थी, जिसका RTGS नहीं किया गया था। प्रबन्ध पत्रद्वारा पारित आदेश के आलोक में ऋण की स्वीकृति ₹ 5,00,000/- करने हेतु निम्न रूप से संशोधित किया जाता है।

Sl. No	अपन सुची क्रमांक	Appl_Name / F/H_Name & Address	Bank A/c No.	Trade	Sanctioned Loan Amount	Less 0.5% Processing Charge	Net Payable Amount
1.	34/2346	MD ZAWED, S/o- LATE ABDUL RASHID, Vill.- BASANTPUR, Block + PS + PO-MAINATAND, Distt.- WEST CHAMPARAN - 845306, Mob:- 9631323591	A/c No.:- 33603035399, SBIN0002974	MECHANIC WORK SHOP	500000	2500	497500
TOTAL					5,00,000	2,500	4,97,500

स्वीकृत ऋण राशि में वर्णित ट्रेड में लाभार्थी द्वारा परिसम्पतियाँ/सामग्रियों का क्रय 30 दिनों के अन्दर में निश्चित रूप से कर लिया जाना है तथा ऋण राशि से सृजित की गयी परिसम्पतियाँ अथवा क्रय की गयी सामग्रियों की भौतिक जाँच कर प्रमण्डलीय कार्यालय के प्रभारी द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।


उक्त स्वीकृत ऋण को ऋणधारक द्वारा ब्याज सहित 20 सामान त्रैमासिक किस्तों अर्थात् 5 वर्षों में वापस किया जाना है।

ह०/-
प्रबंध निदेशक

ज्ञापांक:---1304---

दिनांक:-10-8-2020

प्रतिलिपि:-सभी ऋणधारकों/ऋण शाखा/ऋण शाखा/(कम्प्यूटर सेल)/लेखा शाखा/प्रमण्डलीय कार्यालय प्रभारी को सूचनार्थ एवं आई०टी०मैनेजर को एस०एम०एस /ई-मेल करने हेतु अनुपालनार्थ प्रेषित।


प्रबंध निदेशक